डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

रामी देवी पत्नि लिखमी जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. रघुनाथ दत्तक पुत्र मूला जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 87/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व श्री महेन्द्र कुमार शर्मा हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम कमालपुरिया की आराजीयात मे डिकी दी जाती है कि

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकबा
1	रामी देवी पत्नि लिखमी जाति मीना सा.देह डौरावली खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी	14/1 15 16/385 85	0.03 है0 0.24 है0 0.10 है0 0.20 है0
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.57 है0
2	रघुनाथ दत्तक पुत्र मूला जाति मीना सा.देह डौरावली खातेदार	14	0.57 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.02.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:50 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपया				पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकाल नामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमीशनर		
खर्चा गवाहान			बावत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमीशनर			मुतफरिक		
बवत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 87/2019 दिनांकः– 31.07.2019

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

रामी देवी पत्नि लिखमी जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. रघुनाथ दत्तक पुत्र मूला जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादीगण न0 1)

निर्णय दिनांक 12.02.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरिया स्थित आराजीयात ख0न0 14/0.60, 15/0.24, 16/385/0.10, 85/0.20, कुल किता 4 कुल रकवा 1.14 है0 मे वादीया 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तथा बकिया हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी न0 1 ने बहामी बटवारा कर रखा है, लेकिन आपस मे डोलमेड पर विवाद बना रहता है, तथा कहासुनी होती रहती है। वादीया दिनांक 20.07. 2019 को अपनी आराजी पर बैठी हुई थी कि प्रतिवादी न0 1 वादीया के पास आया और डोल मेड पर झगडा करने लगा। वादीया ने उसको काफी समझाया लेकिन वह नही माना और भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस अम्र से पावन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी न0 1 ख0न0 14/0.60, 15/0.24, 16/385/0.10, 85/0.20, कुल किता 4 कुल रकवा 1.14 है0 ग्राम कमालपुरिया मे मुताबिक कब्जा व खातेदारी बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्त बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादी न0 1 को पावन्द किया जावे कि वह वादीया के हिस्सें मे कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा अलग कायम कराने हेतु दावा डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करने पर बाद सुनवाई दावा प्राथमिक डिक्री कर अलग–अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का उभयपक्ष वकील ने अवलोकन [illegible] स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन कर सहमति दर्ज कराई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस पर [illegible] मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्ष वकील भी प्रस्तुत बटवारा स्कीम से सहमति प्रदान किये जाने से वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरिया की बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकबा
1	रामी देवी पत्नि लिखमी जाति मीना सा.देह डौरावली खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी	14/1 15 16/385 85	0.03 है0 0.24 है0 0.10 है0 0.20 है0
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.57 है0
2	रघुनाथ दत्तक पुत्र मूला जाति मीना सा.देह डौरावली खातेदार	14	0.57 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:50 IST
Reason: SelfAttested